

राज्यपाल सचिवालय, उ०प्र०  
लखनऊ-226027

(99) ई-मेल

संख्या: ई 3198/जी०एस०  
दिनांक : मई 21, 2025

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के  
विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल,  
समस्त राज्य,  
भारत।

महोदय,


उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय एक प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापित है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया वर्तमान में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या : ई-3103/2025, दिनांक मई 20, 2025 (हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी अपलोड कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने प्रदेशों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

 20.05.25

( श्रीप्रकाश गुप्ता )

विशेष सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।

(100)

राज भवन, लखनऊ

डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-3103 / 2025

दिनांक : मई 20, 2025


डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०.), जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुशंसित पैन्ल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए रहेगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ-साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 09.06.2025 (सोमवार) तक केवल ऑनलाइन (Online) प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

  
विशेष सचिव, श्री राज्यपाल,  
उत्तर प्रदेश।

**NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF  
VICE CHANCELLOR FOR DR. RAM MANOHAR LOHIA AVADH  
UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)**

Advt. No. : E-3103 /2025

Dated : May 20, 2025

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for the Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya (U.P.), established under The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of sixty eight years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice-Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his/her application Online only in prescribed format available on the website "[www.upgovernor.gov.in](http://www.upgovernor.gov.in)" on or before **09.06.2025 (Monday)**.

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

*[Handwritten Signature]*  
20.05.25

Special Secretary to the Governor,  
Uttar Pradesh.

Sopam:Letter to the Principal Secretary/Secretary to Governors, all the states for Advertisement for the post of Vice Chancellor

< dseducationsecup@gmail.com >

Fri, 30 May 2025 10:24:07 AM +0530

To "bdul Nazeer S"<governor@ap.nic.in>, "arunachalpradesh"

<arunachalpradesh@gov.in>, "Prof. Jagdish Mukhi"<jagdishmukhi@nic.in>, "Shri Rajendra Vishwanath Arlekar"<governorbihar@nic.in>, "Miss. Archana Pandey"

<rajbhavan.cg@nic.in>, "Shri P.S. Sreedharan Pillai"

<governor.goa@gov.in>, "prsec-rajbhavan"<prsec-

rajbhavan@gujarat.gov.in>, "secpress-gh"<secpress-gh@gujarat.gov.in>, "Governor of Haryana"<governor@hy.nic.in>, "Secretary To Governor"<governorsecy-

hp@nic.in>, "Governor Office, Jharkhand"<jhrgov@jhr.nic.in>, "Thaawarchand Gehlot"<governor.rbblr-ka@gov.in>, "keralagovernor"

<keralagovernor@gmail.com>, "keralarajbhavan"

<keralarajbhavan@gmail.com>, "GOVERNORS SECRETARIAT MP"

<mprajbhavan@mp.gov.in>, "Rajbhavan"<governor-mh@nic.in>, "Th. Ramananda Singh"<rajbhavan.imp-mn@gov.in>, "Rajbhavan Meghalaya"<rajbhavan-

meg@gov.in>, "Governor Mizoram"<governor-mz@gov.in>, "Rajbhavan Kohima"

<rajbhavankohima@nic.in>, "Governor Odisha"<govodisha@nic.in>, "ADMIR CHD"

<admir-chd@nic.in>, "osdhrd rb"<osdhrd.rb@rajasthan.gov.in>, "Secretary to Honble Governor"<secy.rajbn-sik@nic.in>, "RAJ BHAVAN, CHENNAI"

<govtam@nic.in>, "Abdul Nazeer S"<governor.ap@nic.in>, "rajbhavanagt"

<rajbhavanagt@gmail.com>, "Governor Uttarakhand"<he-ua@nic.in>, "Governor of West Bengal"<governor-wb@nic.in>, "Lt Governor Andaman and Nicobar Islands"

<lg@and.nic.in>, "Sonika Singh"<pstolg.delhi@nic.in>, "Lt. Governor Secretariat, JK"<rajbhawan-jk@nic.in>, "Rajniwas Ladakh"<rajniwas.ladakh@gov.in>, "Lt

Governor Office Pondicherry"<lg.pon@nic.in>, "secy governor pb"

<secy.governor.pb@gmail.com>, "Administrator DNH DD"<administrator-dd-dnh@nic.in>, "Praful Patel"<lk-admin@nic.in>

Dear Sir/Madam,

Pl. find the document attached herewith.

with regards,

Hemant Chaudhary  
Deputy, Secretary to Governor, UP.

1 Attachment(s)

E-3540-GS Dated 29-05-2025....

821 KB

Handwritten notes: "Pr. Secy", "30 MAY 2025", "राज्यपाल कार्यालय (उ.प्र.)", "राज्यपाल कार्यालय", "30 MAY 2025", "राज्यपाल कार्यालय (उ.प्र.)", "US(S)", "राज्यपाल कार्यालय".



राज्यपाल सचिवालय, उ०प्र०  
लखनऊ-226027

संख्या: ई 3540/जी०एस०  
दिनांक : मई 29, 2025

103

ई-मेल

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के  
अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल,  
समस्त राज्य,  
भारत।


महोदय,

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ (उ०प्र०) में एक प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापित है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति सम्वन्धी प्रक्रिया वर्तमान में  
विचाराधीन है। इस सम्वन्ध में विज्ञापन संख्या : ई-3463/2025, दिनांक मई 27, 2025  
(हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा० राज्यपाल, उत्तर  
प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी  
अपलोड कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः इस सम्वन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने  
प्रदेशों से सम्वन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को अपलोड कराने  
का कष्ट करें।

भवदीय,



( डॉ० सुधीर एस० बोबडे )

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।

संलग्नक :- यथोपरि।

राज भवन, लखनऊ

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, भेरठ (उ.प्र.) के कुलपति पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-3463 / 2025

दिनांक : मई 27, 2025

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, भेरठ (उ.प्र.), जो कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति, उपर्युक्त अधिनियम की धारा-11(1) के अधीन गठित समिति के द्वारा अनुशंसित पैनल में से कुलाधिपति द्वारा की जानी प्रस्तावित है।


कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यालयक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिए अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को कृषि शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात शिक्षाविद होने के साथ-साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

विश्वविद्यालय में नियुक्त व कार्यरत वर्तमान कुलपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाने एवं उक्त विज्ञापित पद रिक्त होने के पश्चात् ही इस विज्ञापन के माध्यम से नवनियुक्त कुलपति द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovemor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 23 जून, 2025 (सोमवार) तक केवल ऑनलाइन (Online) प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

  
अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,  
उत्तर प्रदेश।

RAJ BHAVAN, LUCKNOW.

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF  
VICE CHANCELLOR FOR SARDAR VALLABHBHAI PATEL  
UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY,  
MEERUT(U.P.)

Advt. No. : E-3463/2025

Dated : May 27, 2025

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for Sardar Vallabhbai Patel University of Agriculture and Technology, Meerut(U.P.), established under the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958 by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 11(1) of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Agriculture Education.

The newly appointed Vice Chancellor can take charge through this advertisement only after the tenure of the present Vice Chancellor appointed and working in the University is completed and the said advertised post becomes vacant.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his application Online only in prescribed format available on the website "[www.upgovernor.gov.in](http://www.upgovernor.gov.in)" on or before dated 23<sup>rd</sup> June, 2025 (Monday).

Any application received after the prescribed date shall not be considered.



Additional Chief Secretary to the Governor,  
Uttar Pradesh.